न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
238/2007	05.12.2007	31.10.2025

1. कौशल पुत्र मदनमोहन, ब्राह्मण निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
2. तुलसी पुत्र मदनमोहन, ब्राह्मण निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
3. गोपाल पुत्र मदनमोहन, ब्राह्मण निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी

—वादीगण

बनाम

1. मदनमोहन पुत्र किन्दूरीलाल, ब्राह्मण नि0 उदेईकलां तह0 गंगापुर सिटी
2. श्यामू पुत्र मदनमोहन नाबालिग जरिए संरक्षक पिता मदनमोहन, ब्राह्मण निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
3. पदमा पत्नि विनोद कुमार पुत्री मदनमोहन, ब्राह्मण निवासी लालसोट
4. सरकार जरिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी
5. प्रभू पुत्र किन्दूरीलाल, ब्राह्मण निवासी उदेईकलां (मृतक)

5/1. प्रमोद दत्तक पुत्र स्व0 प्रभूलाल, ब्राह्मण निवासी उदेईकलॉं तह0 गंगापुर सिटी

6. गिर्राज पुत्र किन्दूरीलाल, ब्राह्मण निवासी उदेईकलॉं तह0 गंगापुर (मृतक)

6/1 अनिल कुमार शर्मा पुत्र स्व. गिर्राज प्रसाद, ब्राह्मण निवासी उदेईकलॉं तह0 गंगापुर सिटी

6/2 कृष्णबल्लभ शर्मा पुत्र स्व. गिर्राज प्रसाद, ब्राह्मण निवासी उदेईकलॉं तह0 गंगापुर सिटी

6/3 विमला देवी पत्नी शिवदयाल, महाजन निवासी गंगापुर सिटी

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री रामदयाल त्रिवेदी, एडवोकेट, वादीगण की ओर से

श्री भानू कुमार सिंहल, एडवोकेट, प्रतिवादीगण की ओर से

निर्णय

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 आपस मे पिता–पुत्र है। प्रतिवादिया संख्या 3 वादीगण की बहिन व प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है। वादीगण व प्रतिवादीगण की पैतृक भूमि [illegible]किरण ख0न0 3[illegible] रकबा 5 विस्वा, ख0न0 332 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा, ख0न0 383 रकबा [illegible] 14

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.11.26 11:11:35 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट (राज0) गंगापुर सिटी (सवाई0)

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

बिस्वा, ख0न0 374 रकबा 19 बिस्वा, ख0न0 529/2 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा, ख0न0 2131 रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा ग्राम उदेईकलॉ मे स्थित है। जिसकी खातेदारी किन्दूरीलाल पुत्र भौरीलाल ब्राह्मण के नाम दर्ज थी। भूप्रबन्ध मे उपरोक्त भूमि के नये नम्बर ख0न0 1639 रकबा 31 एयर, ख0न0 1642 रकबा 31 एयर, ख0न0 1644 रकबा 1.46 है0, ख0न0 1663 रकबा 17 एयर, ख0न0 1664 रकबा 76 एयर, ख0न0 2123 रकबा 1.29 है0, ख0न0 2125 रकबा 46 एयर, ख0न0 2127 रकबा 1.00 है0 कुल रकबा 5.76 है0 व ख0न0 1467 रकबा 70 एयर, ख0न0 1473 रकबा 25 एयर, ख0न0 2211 रकबका 85 एयर कायम किये गये है। जिनमे से ख0न0 1473 रकबा 25 एयर को व ख0न0 2211 रकबा 85 एयर मे से 53 एयर भूमि को प्रतिवादिया संख्या 7 को प्रतिवादी संख्या 1, प्रतिवादी संख्या 5, 6 विक्रय कर चुके है। प्रतिवादी संख्या 7 हाल खसरा नम्बर 2211 मे सहखातेदार है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि पैतृक आराजी है। जिसमे वादीगण का हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1,2,3 के साथ बराबर 1/2 है लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 की नियत खराब है। वह विवादित भूमि मे वादीगण के 1/2 हिस्से को विक्रय करने पर आमादा है। प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 22.11.07 को विवादित भूमि मे वादीगण के 1/2 हिस्से को बिना पारिवारिक आवश्यकता के खर्ची मे विक्रय करने की धमकी दी है। अतः दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम उदेईकलॉ मे स्थित भूमि ख0न0 1639, 1642, 1644, 1633, 1664, 2123, 2125, 2127, 1468, 2211 रकबा 32 एयर मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा 1/2 मे से हिस्सा 1/2 व प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 को हिस्सा 1/2 का [illegible] घोषित फरमाया जावें। प्रतिवादी संख्या 1 को स्था[illegible] फरमाया जावे कि वे विवादित भूमि मे से उनके 1/2 हिस्से को र[illegible]वय नही करे तथा उनके

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.11.26 11:11:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

हिस्से मे किसी प्रकार की माने मजामहत पैदा नही करे ना ही किसी अन्य से करावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण 2 ता 4, 6, 7 बाबजूद सूचना उपस्थित नही हुए है। अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी संख्या 1, 5 ने अपने जबाब दावे मे अंकित किया है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2, प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र है तथा प्रतिवादी संख्या 3 प्रतिवादी संख्या 1 पुत्री है। वादपत्र के मद नम्बर 2 मे वादीगण ने साबिक ख0न0 329 का रकबा 5 बिस्वा दर्ज किया है जबकि इसका रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा रहा है। इसी प्रकार साबिक ख0न0 374 का रकबा 19 बिस्वा दर्ज किया जबकि यह 2 बीघा 9 बिस्वा रहा है। इस तरह वादीगण ने गलत रकबा अंकित किया है। जबाबदावे के विशेष विवरण मे प्रतिवादीगण ने अंकित किया है कि वादीगण ने जिन तथ्यों के आधार पर यह दावा प्रस्तुत किया है इन्ही तथ्यों के साथ एवं समान अनुतोष का एक दावा अदालत हाजा मे पूर्व मे भी दिनांक 10.7.98 को उनवानी कौशल कुमार बनाम प्रभू वगैरा प्रस्तुत किया था। जिसमे जबाबदार मदनमोहन को प्रतिवादी संख्या 3 के रूप मे अंकित किया था जो दावा निरस्त हो चुका है। इस कारण मौजूदा दावा रेस्जूडीकेटा है एवं चलने योग्य नही है। वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी जबाबदार एवं प्रतिवादी संख्या 6 की संयुक्त आराजी के रूप मे राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है जब तक वादग्रस्त आराजी जबाबदार एवं प्रतिवादी संख्या 6 के नाम रिकॉर्ड मे विभाजित होकर अलग अलग दर्ज नही हो जाती तब तक वादीगण का दावा चलने योग्य नही है। वादीगण ने अपने वादपत्र मे ख0न0 1473 रकबा 25 एयर तथा ख0न0 [illegible] रकबा 85 एयर मे से 53 एयर का रकबा प्रतिवादी संख्या 7 को वि[illegible] किया जाना बताया है यह रकबा बाहमी बंटवारा दिनांक 14.7.1990 मे प्रतिवादी संख्या 6 गिर्राज के

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.11.26 11:11:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

हिस्से मे आया था और प्रतिवादी संख्या 6 गिर्राज ने ही अपने हिस्से मे से प्रतिवादी संख्या 7 को विक्रय किया है। प्रतिवादी जबाबदार ने तो केवल सहखातेदार होने के नाते केवल हस्ताक्षर किये है जबकि विक्रय मूल्य जबाबदार को प्राप्त ही नही हुआ है। वादीगण को इन सब तथ्यो की पूर्ण जानकारी है फिर भी वादीगण ने अपने वाद मे इन तथ्यों को छिपाया है। अतः जबाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादीगण खारिज फरमाया जावें।

वादपत्र के समर्थन मे वादीगण की ओर से नकल जमाबंदी संवत 2025–28 प्रदर्श 1, नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श 2, 3, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 4, नकल जमाबंदी संवत 2061–64 प्रदर्श 5, प्रदर्श 6 प्रस्तुत किये है एवं बयान वादी कौशल कुमार के कराये है। इनके अतिरिक्त वादीगण ने प्रभूदयाल पुत्र किन्दूरीलाल के मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति, प्रभूदयाल शर्मा के मूल निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति, गोदनामा दिनांक 5.11.2012 की छायाप्रति भी प्रस्तुत की है।

प्रतिवादी संख्या 1 व 5 की ओर से अपने जबाब के समर्थन मे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये है।

बहस विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष सुनी गई।

वकील वादीगण ने अपने वादपत्र के अनुरूप बहस करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि हिस्सा 1/3 मे से हिस्सा 1/2 की खातेदारी वादीगण के नाम तथा हिस्सा 1/2 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 के नाम दर्ज करने का निवेदन किया है।

प्रतिवादी संख्या 1, 5 के अभिभा[illegible] अपने जबाब के अनुरूप बहस करते हुए वादीगण का दावा [illegible] किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.11.26 11:11:35 IST
Reason: SelfAttested

बहस पर मनन किया। पत्रावली प[illegible] उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। वादग्रस्त भूमि ख0न0 1639, 1642, 1644, 1663, 1664, 2123, 2125,

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

2127 ग्राम उदेईकलॉं अ एवं भूमि ख0न0 1468, 2211, 1473 ग्राम उदेईकलॉं 'ब' प्रतिवादी संख्या 1, प्रतिवादी संख्या 6, 5 के नाम संयुक्त खातेदारी मे दर्ज है तथा ख0न0 2211 मे प्रतिवादी संख्या 7 का 53/85 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1, 5, 6 के साथ संयुक्त रूप से दर्ज है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 5, 6, 7 के विरूद्ध अपने वाद पत्र मे कोई रिलीफ नही चाही है केवल प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध रिलीफ चाही गई है। प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण का पिता है। वादग्रस्त भूमि वर्तमान मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम हिस्सा 1/3 के रूप मे संयुक्त खातेदारी मे दर्ज है एवं वादीगण अपने पिता के नाम दर्ज हिस्सा 1/3 की भूमि मे से 1/2 हिस्से की खातेदारी घोषणा चाहते है। इस सम्बन्ध मे विभिन्न अपीलीय न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णयों के अनुसार अपने पिता प्रतिवादी संख्या 1 की मौजूदगी मे वादीगण अपने नाम पृथक से खातेदारी घोषणा कराने हेतु अधिकारी नही है। फलस्वरूप वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने योग्य नही है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद डिक्री योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.11.26 11:11:35 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी
गंगापुर सिटी (राज०)

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

Judi/Civil
Part IV-10

अज अदालत उप जिलाकलक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास बृजेन्द्र मीना, आर०ए०एस०

उनवान

1. कौशल पुत्र मदनमोहन, ब्राह्मण निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
2. तुलसी पुत्र मदनमोहन, ब्राह्मण निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
3. गोपाल पुत्र मदनमोहन, ब्राह्मण निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी

—वादीगण

बनाम

1. मदनमोहन पुत्र किन्दूरीलाल, ब्राह्मण नि0 उदेईकलां तह0 गंगापुर सिटी
2. श्यामू पुत्र मदनमोहन नाबालिग जरिए संरक्षक पिता मदनमोहन, ब्राह्मण निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
3. पदमा पत्नि विनोद कुमार पुत्री मदनमोहन, ब्राह्मण निवासी लालसोट
4. सरकार जरिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी
5. प्रभू पुत्र किन्दूरीलाल, ब्राह्मण निवासी उदेईकलां (मृतक)

5/1. प्रमोद दत्तक पुत्र स्व0 प्रभूलाल, ब्राह्मण निवासी उदेईकलॉ तह0 गंगापुर सिटी

6. गिर्राज पुत्र किन्दूरीलाल, ब्राह्मण निवासी उदेईकलॉ तह0 गंगापुर (मृतक)

6/1 अनिल कुमार शर्मा पुत्र स्व. गिर्राज प्रसाद, ब्राह्मण निवासी उदेईकलॉ तह0 गंगापुर सिटी

6/2 कृष्णबल्लभ शर्मा पुत्र स्व. गिर्राज प्रसाद, ब्राह्मण निवासी उदेईकलॉ तह0 गंगापुर सिटी

6/3 विमला देवी पत्नी शिवदयाल, महाजन निवासी गंगापुर सिटी

——प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. –238/2007

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री रामदयाल त्रिवेदी, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री भानू कुमार सिंहल, एडवोकेट मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद डिक्री योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 31.10.20[illegible] को जारी किया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.11.26 11:11:35 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिलाकलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट (राज०) गंगापुर सिटी (राज०)